The Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995

Act 26 of 1995

Keyword(s):
Backward Classes, Commission

Amendments append: 3 of 2007, 19 of 2020, 1 of 2022

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 291, भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 जून 1995—आषाढ़ 8, शक 1917 में प्रकाशित]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 जून 1995

क्र. 7150-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 24 मई, 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 26 सन् 1995.

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995.

विषय-सूची.

धाराएं :

अध्याय 1—आरंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.
2. परिभाषाएं.

अध्याय 2—राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

3. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन.
4. अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्तें.
5. आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी.
6. वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जाएगा.
7. रिक्तियों आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.
8. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना.

अध्याय 3—आयोग के कृत्य तथा शक्तियां

9. आयोग के कृत्य.
10. आयोग की शक्तियां.
11. राज्य सरकार द्वारा सूचियों का नियतकालिक पुनरीक्षण.

अध्याय 4—वित्त, लेखा और संपरीक्षा

12. राज्य सरकार द्वारा अनुदान.
13. लेखा तथा संपरीक्षा.
14. वार्षिक रिपोर्ट.
15. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समक्ष रखा जाना.

अध्याय 5—प्रकीर्ण

16. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे.
17. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
18. नियम बनाने की शक्ति.
19. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.
20. विघटन तथा व्यावृत्ति.

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' दिनांक 20 जून 1995]

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 26 सन् 1995

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995

[दिनांक 24 मई, 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 29 जून, 1995 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से भिन्न पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1—प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''पिछड़े वर्गों'' से अभिप्रेत है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से भिन्न नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये हैं;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग;

(ग) ''सूची'' से अभिप्रेत है पिछड़े वर्गों की सूची जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा तैयार किया गया है;

(घ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य और इसमें अध्यक्ष (चेयरपर्सन) सम्मिलित है;

अध्याय 2—राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन.

3. (1) राज्य सरकार, एक निकाय का गठन करेगी जो मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का पालन करेगा.

(2) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(क) तीन अशासकीय सदस्य जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हैं जिनमें से एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य पिछड़े वर्गों में से होगा.

(ख) संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मध्यप्रदेश.

अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्तें.

4. (1) आयोग का प्रत्येक अशासकीय सदस्य, उस तारीख से, जिसको कि वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा.

(2) कोई सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा यथास्थिति अध्यक्ष या, सदस्य का पद त्याग सकेगा.

(3) राज्य सरकार, सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा देगी, यदि वह व्यक्ति,—

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अद्यमता अन्तर्वलित है, दोष सिद्ध हो जाता है तथा कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है;

(ग) विकृतचित हो जाता है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है;

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना, आयोग के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है जिससे कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना पिछड़े वर्गों के हितों या लोकहित के लिये अपायकर हो गया है:

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे उस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया है.

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा कारित रिक्ति को नया नामनिर्देशन करके भरा जाएगा तथा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के पद की शेष अवधि तक पद धारण करेगा.

(5) अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए.

आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी.

5. (1) राज्य सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्त करेगी तथा आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो कि आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिये आवश्यक है.

(2) आयोग के प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए.

वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जाएगा.

6. अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्तों और प्रशासनिक व्ययों, जिसके अन्तर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते तथा पेंशन हैं, का भुगतान धारा 12 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जाएगा.

7. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान है या आयोग के गठन में कोई त्रुटि है. **रिक्तियों आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.**

8. (1) आयोग जब और जितनी बार भी आवश्यक हो, अपना सम्मिलन ऐसे समय तथा स्थान पर करेगा, जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे. **प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना.**

(2) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा.

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय, सचिव द्वारा या सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे.

अध्याय 3—आयोग के कृत्य तथा शक्तियां

9. (1) आयोग का कृत्य होगा कि वह— **आयोग के कृत्य.**

(क) पिछड़े वर्गों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करें;

(ख) पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी करे तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में, जो ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार हैं, सुधार हेतु सुझाव दें;

(ग) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के संबंध में सलाह दें;

(घ) पदों पर नियुक्तियों के आरक्षण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार की गई सूचियों में किसी भी नागरिक को पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित करने की प्रार्थनाओं का परीक्षण करना और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग को पात्र न होने पर भी सम्मिलित करने या पात्र होने पर भी सम्मिलित न करने की शिकायतों को सुने और राज्य सरकार को ऐसी सलाह दे जैसी कि वह उचित समझे;

(ङ) पिछड़े वर्ग में, सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति या समूह के प्रवर्ग सुनिश्चित करे;

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं;

(2) आयोग की सलाह साधारणत: राज्य सरकार पर आबद्धकर होगी तथापि जहां सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है वहां वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगी.

10. आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बावत् किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:— **आयोग की शक्तियां.**

(क) राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना.

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए.

राज्य सरकार द्वारा सूचियों का नियत-कालिक पुनरीक्षण.

11. (1) राज्य सरकार पिछड़े वर्गों की ऐसी सूची में से उन वर्गों के नाम अपवर्जित करने के उद्देश्य से जो पिछड़े वर्ग के नहीं रह गये हैं या ऐसी सूची में नये पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से किसी भी समय पुनरीक्षण का कार्य हाथ में ले सकेगी और इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से दस वर्ष की समाप्ति पर तथा उसके पश्चात् की दस वर्ष की प्रत्येक पश्चात्वर्ती कालावधि की समाप्ति पर ऐसे पुनरीक्षण का कार्य हाथ में लेगी.

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पुनरीक्षण का कार्य हाथ में लेते समय, आयोग से परामर्श करेगी.

अध्याय 4—वित्त, लेखा और संपरीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान.

12. (1) राज्य सरकार, विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जैसा कि राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाने के लिये उचित समझे.

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के पालन के लिये जितनी राशि उचित समझे उतनी राशि का व्यय कर सकेगा और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से सदैव व्यय के रूप में माना जाएगा.

लेखा तथा संपरीक्षा.

13. (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, विहित किया जाए.

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, महालेखाकार, मध्यप्रदेश द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जो कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा.

वार्षिक रिपोर्ट.

14. आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जो कि विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का सम्पूर्ण विवरण दिया जाएगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.

वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समक्ष रखा जाना.

15. राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट को और उसके साथ आयोग द्वारा धारा 9 तथा 11 के अधीन दी गई सलाह पर की गई कार्रवाई और यदि ऐसी किसी सलाह को स्वीकार नहीं किया है तो ऐसे अस्वीकार किये जाने के कारणों का, यदि कोई हों, एक ज्ञापन और संपरीक्षा रिपोर्ट को ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखवाएगी.

अध्याय 5—प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे.

16. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे.

17. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध नहीं होगी. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.**

18. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी. **नियम बनाने की शक्ति.**

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें;

(ख) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा;

(ग) धारा 14 के अधीन वह प्ररुप जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;

(घ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए.

(3) इस अधिनियम केअधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

19. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो: **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.**

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

20. (1) अधिसूचना क्रमांक एफ-12-21-पच्चीस-4-92, तारीख 13 मार्च, 1993 द्वारा गठित किया गया मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, धारा 3 के अधीन आयोग का गठन होने पर विघटित हो जाएगा. **विघटन तथा व्यावृत्ति.**

(2) ऐसे विघटन के होते हुए भी, उक्त आयोग द्वारा की गई किसी भी बात या कार्रवाई या उसकी सिफारिश के अनुसरण में, राज्य सरकार द्वारा की गई किसी बात या कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 03 of 2007)

CHHATTISGARH RAJYA PICHHADA VARG AYOG (SANSHODHAN) ACT, 2007

An Act to amend the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty Eighth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog (Sanshodhan), Adhiniyam, 2007. **Short title and Commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause *(a)* of sub-section (2) of Section 3 of the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995) (hereinafter referred to as the Principal Act),— **Amendment of Section 3.**

(a) for the word "three" the word "seven" shall be substituted.

(b) In proviso to clause (a) of sub-section (2) of Section 3 of the Principal Act for the word "one" the word "three" shall be substituted.

3. Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog (Sanshodhan) Ordinance, 2007 (No. 6 of 2007) is hereby repealed. **Repeal.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 492] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2020 — आश्विन 21, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7709/डी. 152/21—अ/प्रारू./छ.ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 30—09—2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 19 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा। **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. छत्तीसगढ़ राज्य पिछडा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) की धारा 4 की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :– **धारा 4 का संशोधन.**

''(1) अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।''

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7709/डी. 152/21–अ/प्रारू./छ.ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिनियम दिनांक 13–10–2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTIGARH ACT
(No. 19 of 2020)

THE CHHATTISGARH RAJYA PICHHADA VARG AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2020.

An Act further to amend the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020. **Short title, extent and commencement.**

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. For sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995), the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 4.**

"(1) The Chairperson and every member shall hold office, from the date on which he assumes the office, during the pleasure of the State Government."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 जनवरी 2022 — माघ 2, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2022

क्र. 707/डी. 02/21—अ/प्रारू./छ.ग./22. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 06—01—2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 1 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''(घ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है आयोग का कोई सदस्य तथा इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मिलित है.''

धारा 3 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) के खण्ड (क) में, शब्द ''एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा'' के पश्चात्, शब्द ''तथा एक उपाध्यक्ष होगा'' अंतःस्थापित किया जाये.

धारा 4 का संशोधन. 4 मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द ''अध्यक्ष'' जहां कहीं भी आया हो के पश्चात्, शब्द ''उपाध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये.

धारा 6 का संशोधन. 5 मूल अधिनियम की धारा 6 में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पश्चात्, शब्द '',उपाध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये.

धारा 16 का संशोधन. 6 मूल अधिनियम की धारा 16 में, शब्द ''अध्यक्ष,'' के पश्चात्, शब्द ''उपाध्यक्ष,'' अंतःस्थापित किया जाये.

अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2022

क्र. 707/डी. 02/21–अ/प्रारू./छ.ग./22. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 1 of 2022)

THE CHHATTISGARH RAJYA PICHHADA VARG AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2021

An Act further to amend the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy Second Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. For clause (d) of Section 2 of the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 2.**

"(d) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairperson and Vice-Chairperson."

3. In clause (a) of sub-section (2) of Section 3 of the Principal Act, after the words "the Chairperson", the words "and one shall be Vice-Chairperson" shall be inserted. **Amendment of Section 3.**

4. In Section 4 of the Principal Act, after the words "the Chairperson", wherever they occur, the words ",Vice-Chairperson" shall be inserted. **Amendment of Section 4.**

5. In Section 6 of the Principal Act, after the words "the Chairperson", the words ",Vice-Chairperson" shall be inserted. **Amendment of Section 6.**

6. In Section 16 of the Principal Act, after the words "the Chairperson, ",the words "Vice-Chairperson, "shall be inserted. **Amendment of Section 16.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.